न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 10/2019

प्रार्थीगण– ***बनाम*** **अप्रार्थीगण–**

प्रार्थीगण–

1. मोहनलाल पुत्र मुकनाराम जाति नाई
2. तगाराम पुत्र चेनाराम जाति नाई
3. दुर्गाप्रसाद पुत्र खेताराम जाति खत्री
4. महेन्द्र पुत्र अमृतलाल जाति घांची
5. विरेन्द्रसिंह पुत्र प्रितमसिंह
6. तेजाराम पुत्र शंकरलाल जाति सैन निवासी समदड़ी स्टेशन, जिला बाड़मेर

अप्रार्थीगण–

1. बजरंगदास चेला गोविन्ददास सन्यासी जाति संत निवासी समदड़ी जिला बाड़मेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी, पंचायत समिति सिवाना
3. अध्यक्ष, विश्नोई समाज न्याति नोहरा, फूलण जरिये हरलालराम पुत्र प्रहलादराम जाति बिश्नोई निवासी फूलण तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या शुन्य मिसल सं. 36/2008–09 दिनांक 11.10.2008 जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 15.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत ग्राम समदड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. शुन्य दिनांक 11.10.2008 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1350 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत समदड़ी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित नियम 157(ख) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत समदड़ी स्टेशन के मौहल्ला आदर्श कॉलोनी में प्रार्थीगण की श्रद्धा व आस्था का केन्द्र श्रीराम कुटिया हनुमानजी का मंदिर आया हुआ है, जो राज मारवाड़ के समय से उक्त मंदिर कॉलानी वासियों की धार्मिक आस्था एवं इष्ट श्री हनुमानजी का मंदिर आया हुआ हैं। इस मंदिर में आज से 25 वर्ष पूर्व सीतारामजी महाराज पूजा अर्चना करते थे तथा उनके देहावसान के पश्चात प्रार्थीगण सहित अन्य ग्रामवासियों द्वारा उक्त मंदिर में पूजा अर्चना की जाती रही हैं। उक्त भूखण्ड का पट्टा सं. 45 दिनांक 05.11.1999 स्व0 सीतारामजी महाराज के पक्ष में ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया था। सीतारामजी महाराज [illegible] पश्चात अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 के साथ [illegible] का पट्टा दिनांक 11.10.2008 को [illegible] लम्बे समय तक इसका पंजीयन नहीं कराया। उक्त पट्टा जारी होने के करीब दस वर्ष बाद दिनांक 18.12.2018 को छिपे तौर पर उक्त पट्टे का पंजीयन करवा दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

आलौच्य पट्टा विलेख सार्वजनिक मंदिर की भूमि का जिसका पूर्व में सीतारामजी महाराज के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी था, पुनः उसी भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 1 के नाम पर कर दिया तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त भूखण्ड को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू हुआ तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई तथा यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। इस प्रकार वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी सं. 1 के कब्जे का पुराना आवास गृह नही है, बल्कि पूर्व में ही पट्टाशुदा हैं। ऐसी स्थिति आलौच्य पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत गलत रूप से जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 ने आलौच्य पट्टा जारी करने में नियमों की पूर्ण अनदेखी की गई हैं, इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत की अनदेखी एवं अनियमित कार्यवाही के द्वारा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

4. अप्रार्थी सं. 1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि आलौच्य पट्टा अधीन भूखण्ड अप्रार्थी सं. 1 के निजी कब्जा व पट्टाशुद अधिपत्य एवं स्वामित्व का था जिसे अप्रार्थी सं. 3 बिश्नोई समाज न्याति नोहरा संस्थान, फूलण को दिनांक 24.04.2019 को बक्शीस कर दिया हैं तथा उक्त बक्शीसनामा उप पंजियक समदड़ी के कार्यालय में दिनांक 26.04.2019 को पंजीबद्ध किया जा चुका हैं। उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का मंदिर वगैरह नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा झूठे एवं मनगंढ़त तथ्य अंकित कर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध आईदानराम व अन्य द्वारा सिविल न्यायलय सिवाना में एक सिविल वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें न्यायालय [illegible] की रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में [illegible] होना पाया गया हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 के स्वयं निजी पूजा अर्चना हेतु छोटा मंदिर होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पुराने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

कब्जे को प्रमाणित मानते हुए विधिवत प्रक्रिया का पालन कर पट्टा जारी किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं की गई हैं। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को नाहक परेशान करने के लिय बेबुनियादी व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की गई हैं जो कतई विधि सम्मत नहीं हैं।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी किया गया है, जो पुराने कब्जों के नियमितीकरण के लिये जारी किया जाता हैं इस संबंध में अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध आईदानराम व अन्य द्वारा सिविल न्यायलय सिवाना में एक सिविल वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे न्यायालय द्वारा मौका की रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी सं. 1 का रहवासीय कब्जा होना पाया गया हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 के स्वंय निजी पूजा अर्चना हेतु छोटा मंदिर होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया हैं। ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन से पाया जाता हैं कि मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करने पर विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 1 का पुराना कब्जा होना पाया हैं तथा इस रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया है। जहां तक प्रार्थीगण का कथन हैं कि विवादित भूमि मंदिर की सार्वजनिक भूमि हैं तो सिविल न्यायालय के मौका कमिशनर द्वारा मौका निरीक्षण में पाया गया हैं कि विवादित भूमि में छोटा सा मंदिर अप्रार्थी सं. 1 स्वंय की पूजा अर्चना हेतु बनाया गया हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा आलौच्य पट्टा जारी [illegible] किसी कार्यवाही पर सारभूत आक्षेप प्रकट नहीं [illegible] ने यह भी प्रकट किया हैं कि विवा[illegible] विलेख स्व0 सीताराम जी महाराज के नाम से जारी किया गया था, [illegible] अवलोकन करने से उक्त पट्टा विलेख के पडौस आलौच्य पट्टा विलेख के पडौस से मेल नहीं खाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं, ऐसे मे स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता हैं कि आलौच्य पट्टा उसी भूखण्ड का जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाना अभिलेखिय तौर पर साबित नहीं हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अपूर्णता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा विधि अनुकूल उचित प्रतीत होता हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाकर प्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा बैठक दिनांक 10.10.2008 के संकल्प सं. 3 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. शुन्य दिनांक 11.10.2008 को यथावत बहाल रखा जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:45 IST
Reason: SelfAttested